15

# कल्याणकारी उपाय

## 1. दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 का कार्यान्वयनः

दिनांक 01–01–2023 को सीआईएल में दिव्यांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व दर्शाने वाला विवरणः

| कंपनी | कर्मचारियों की संख्या | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | वीएच | एचएच | ओएच |
| ईसीएल | 51,770 | 19 | 23 | 81 |
| बीसीसीएल | 37,585 | 16 | 4 | 7 |
| सीसीएल | 35,239 | 25 | 17 | 33 |
| डब्ल्यूसीएल | 34,581 | 63 | 8 | 95 |
| एसईसीएल | 42,267 | 29 | 10 | 122 |
| एमसीएल | 21,799 | 31 | 12 | 80 |
| एनसीएल | 13,914 | 8 | 16 | 55 |
| एनईसी | 690 | 0 | 0 | 1 |
| सीएमपीडीआई | 2,886 | 4 | 4 | 15 |
| डीसीसी | 154 | 0 | 0 | 0 |
| सीआईएल (मुख्यालय) | 678 | 2 | 0 | 3 |
| **कुल सीआईएल** | **2,41,563** | **197** | **94** | **492** |

## 1.2 एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस को आरक्षणः

राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के संबंध में भर्ती के दौरान और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के संबंध में पदोन्नति के दौरान आरक्षण नीति लागू की जा रही है।

| | सीधी भर्ती | | | | पदोन्नति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ग्रुप–क और ख पदों के लिए | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अन्य पिछड़ा वर्ग | ईडब्ल्यूएस | समूह क, ख, ग और घ के लिए | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति |
| ओपन बेसिस प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से अखिल भारतीय आधार (लिखित) | 15% | 7½ % | 27% | 10% अखिल भारतीय | अखिल भारतीय | 15 % | 7½ % |
| लिखित प्रतियोगी परीक्षा आयोजित न करने के अलावा अखिल भारतीय आधार पर | 16 ⅔ % | 7½ % | शेष 50% तक सीमित | 10% | | | |

उपरोक्त के अलावा, जहां राज्य–वार आरक्षण मानदंडों का पालन किया जा रहा है तथा जहां सहायक कंपनियां प्रचालित हो रही हैं, वहां समूह ग पदों पर भर्ती में आरक्षण पर एक निदेश है। सहायक कंपनी–वार/राज्य–वार आरक्षण प्रतिशत नीचे दिया गया है:

| कंपनी | राज्य | अनुसूचित जाति की % आयु | अनुसूचित जनजाति की% आयु | अन्य पिछड़ा वर्ग की % आयु |
|---|---|---|---|---|
| बीसीसीएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| सीसीएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| सीएमपीडीआईएल | झारखंड | 12 | 26 | 12 |
| ईसीएल | पश्चिम बंगाल | 23 | 5 | 22 |
| सीआईएल कोलकाता | पश्चिम बंगाल | 23 | 5 | 22 |
| एमसीएल | ओडिशा | 16 | 22 | 12 |
| एनसीएल | मध्य प्रदेश | 15 | 20 | 15 |
| एसईसीएल | मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ | 12 | 32 | 13 |
| डब्ल्यूसीएल | महाराष्ट्र | 10 | 9 | 27 |
| एनईसी | असम | 7 | 12 | 27 |

सीआईएल में दिनांक 01.01.2023 को समूह–वार जनशक्ति के साथ–साथ एससी/एसटी/ओबीसी का प्रतिनिधित्व (प्रतिशत में) नीचे दिया गया है:

| समूह | कुल संख्या | अनुसूचित जाति % | अनुसूचित जनजाति % | अन्य पिछड़ा वर्ग % |
|---|---|---|---|---|
| क | 14,936 | 15.8 | 6.5 | 21.10% |
| ख | 17,061 | 13.1 | 8.7 | 22.50% |
| ग | 2,09,566 | 19.8 | 15.6 | 23.60% |
| **कुल** | **2,41,563** | **19.1** | **14.5** | **23.40%** |

## 2. एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा कल्याणकारी उपाय

### दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम 2016 का कार्यान्वयन

एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप बेंचमार्क दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के लिए एक समान अवसर नीति मौजूद है, जिसमें कार्यस्थल में सुगम एवं बाधारहित परिवेश, व्हील चेयर अपयोगकर्ताओं के लिए सुगम तथा यूजर फ्रेंडली शौचालय, सहायता एवं सहायक उपकरण प्रदान करना, आवसीय क्षेत्र में आवास को प्राथमिकता देना, पोस्टिंग का विकल्प, 4 दिनों का विशेष आकस्मिक अवकाश, प्रवेशकालीन एवं भर्ती के पश्चात् प्रशिक्षण, आरक्षित वाहन पार्किंग, दिव्यांगजन अधिकारियों और गैर–संघीय पर्यवेक्षकों को कैफेटेरिया दृष्टिकोण के तहत मूल वेतन के 35% की सम्पूर्ण सीमा से अधिक यदि उनके पास चार पहिया वाहन है तो 4% की दर से एवं यदि दो पहिया वाहन है तो 2% की दर से अतिरिक्त परिवहन सहायता आदि जैसी सुविधांए उपलब्ध है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड डीओपीएंडटी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए दिनांक 19–04–2017 से रोजगार में 4% आरक्षण (दिनांक 07–02–1996 से दिनांक 18–04–2017 तक 3% आरक्षण) का पालन करता है और दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत प्रावधानों के अनुपालन में अपने कार्यबल में शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करता है।

दिनांक 30 नवंबर 2023 की स्थिति के अनुसार एनएलसीआईएल में बेंचमार्क दिव्यांग व्यक्तियों (एचएच, ओएच, वीएच श्रेणी के तहत) का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

| समूह | कुल संख्या | बेंचमार्क दिव्यांगता की प्रकृति | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | एचएच | ओएच | वीएच | कुल |
| क | 3,054 | 4 | 31 | 2 | 37 |
| ख | 180 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ग | 5,735 | 10 | 69 | 15 | 94 |
| घ | 1,385 | 35 | 10 | 28 | 73 |
| **कुल** | **10,354** | **50** | **110** | **46** | **206** |

*एचएच – श्रवण बाधित; ओएच – आर्थोपेडिक रूप से दिव्यांग; वीएच – दृष्टिबाधित*

पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को प्रदान किए गए कल्याणकारी उपायों के अलावा, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए कंपनी द्वारा की गई कुछ अन्य पहल इस प्रकार हैं:

क. एनएलसी इंडिया लिमिटेड वर्ष 1987 से मानसिक दिव्यांगता वाले विशेष बच्चों को शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 'स्नेहा' स्कूल नाम से एक डे केयर स्कूल चलाता है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित स्नेहा अपॉर्चुनिटी सर्विसेज एंड स्कूल के माध्यम से बच्चों को कला और शिल्प, मोमबत्ती बनाना, पेपर कप/कवर बनाना, बढ़ईगीरी, बागवानी, डोरमैट बुनाई आदि जैसे व्यवसायों में प्रशिक्षित किया जाता है। स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों की संख्या वर्तमान में 71 है, जिनमें से 55 लड़के और 16 लड़कियां हैं।

ख. एनएलसी इंडिया लिमिटेड द्वारा संरक्षित नेवेली हेल्थ प्रमोशन एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी (एनएचपीएसडब्ल्यूएस) नामक सोसायटी के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान दिव्यांग व्यक्तियों को ट्राइसाइकिल, व्हील चेयर, श्रवण यंत्र का नियमित वितरण।

## 2.1 एससी/एसटी को आरक्षण

एनएलसी इंडिया लिमिटेड सीधी भर्ती और पदोन्नति के मामले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नियमों का ईमानदारी से पालन करता है। भर्तियाँ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीएंडटी) और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा निर्धारित पद आधारित आरक्षण रोस्टर प्रणाली के अनुसार की जाती हैं। एनएलसीआईएल में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लागू आरक्षण नियमों/दिशानिर्देशों का उचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए संपर्क अधिकारियों के तहत अलग अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरक्षण का लाभ ऐसे लाभों के हकदार सही दावेदारों को मिले; एनएलसीआईएल प्रारंभिक नियुक्ति के समय संबंधित राज्य/जिला अधिकारियों/जिला स्तरीय सतर्कता समिति (डीएलवीसी)/राज्य स्तरीय जांच समिति (एसएलएससी) के माध्यम से एससी/एसटी उम्मीदवारों की जाति की स्थिति के सत्यापन का ईमानदारी से पालन करता है।

दिनांक 30 नवंबर 2023 तक एनएलसी इंडिया लिमिटेड में कुल जनशक्ति 10,354 थी और दिनांक 30 नवंबर, 2023 की स्थिति के अनुसार उनके आरक्षण के लागू प्रतिशत के लिए अनुसचित जाति और अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नीचे दिया गया है।

| समूह | कुल संख्या | आरक्षण का लागू % | | अनुसूचित जाति की संख्या | | अनुसूचित जनजाति की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति का % | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति का % |
| क | 3,054 | 15 एवं 16.66* | 7.5 | 642 | 21.02 | 314 | 10.28 |
| ख | 180 | 15 एवं 16.66* | 7.5 | 39 | 21.67 | 06 | 3.33 |
| **कुल** | **3,234** | – | – | **681** | | **320** | |

| समूह | कुल संख्या | आरक्षण का लागू % | | अनुसूचित जाति की संख्या | | अनुसूचित जनजाति की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जाति का % | अनुसूचित जनजाति | अनुसूचित जनजाति का % |
| ग | 5,735 | 19 | 1 | 1,121 | 19.55 | 58 | 1.01 |
| घ | 1,385 | 19 | 1 | 365 | 26.35 | 05 | 0.36 |
| **कुल** | **7,120** | – | – | **1,486** | | **63** | |

** खुली प्रतियोगिता द्वारा अखिल भारतीय आधार पर भर्तियों के लिए 15% आरक्षण।*

** खुली प्रतियोगिता के अलावा अखिल भारतीय आधार पर भर्तियों के लिए 16.66% आरक्षण।*

ऊपर दर्शाई गई आरक्षण की मात्रा तमिलनाडु में समूह ग और घ पदों के लिए लागू है। तथापि, समूह ग और घ पदों जो आम तौर पर किसी इलाके या क्षेत्र से अभ्यर्थियों को आकर्षित करती है, के लिए आरक्षण की मात्रा, डीओपीएंडटी, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनसंख्या के अनुपात के आधार पर तय की जाती है।

## 2.2 लोक शिकायत निवारण – अप्रैल 2023 से नवंबर 2023

| लोक शिकायत प्राप्ति का माध्यम | अग्रेषित किया गया/प्राप्त | पुनः समाधान | लंबित |
|---|---|---|---|
| ऑनलाइन पोर्टल – कोयला मंत्रालय | 75 | 74 | 01 |
| वीआईपी संदर्भ | 32 | 31 | 01 |
| मुख्यमंत्री विशेष प्रकोष्ठ/चेन्नई | 91 | 89 | 02 |
| जिला कलेक्टर/ कुड्डालोर | 188 | 182 | 06 |
| सीधे सीएमडी को संबोधित/मेल के माध्यम से प्राप्त | 15 | 13 | 02 |
| **कुल** | **401** | **389** | **12** |

## 2.3 कर्मचारी कल्याण:

**(i) शैक्षिक सहायता योजना (छात्रवृत्ति) (अप्रैल–2023 से नवंबर–2023)**

| आरक्षण वर्ग | छात्रों की संख्या | स्वीकृत राशि रु. |
|---|---|---|
| सामान्य श्रेणी | 223 | 21,50,000/– |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 632 | 72,52,000/– |
| अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति | 582 | 67,02,000/– |

**(ii) नकद पुरस्कार (अप्रैल–2023 से नवंबर–2023)**

| शैक्षणिक वर्ष | कक्षा X | | कक्षा XII | |
|---|---|---|---|---|
| | छात्रों की संख्या | राशि रु. | छात्रों की संख्या | राशि रु. |
| 2023 | 80 | 40,000<br>(80 x 500) | 69 | 69,000/–<br>(69 x 1000) |
| **छात्रों की कुल संख्या** | 80 +69 = 146 | | कुल स्वीकृत राशिः 1,09,000/–<br>(40,000 + 69,000) रु. | |

**(iii) मृत्यु राहत निधि ( अप्रैल–2023 से नवंबर–2023)**

| | |
|---|---|
| **लाभार्थियों की कुल संख्या : 52** | सेवारत कर्मचारियों के वेतन से वसूल की गई मृत्यु राहत राशि मृत कर्मचारी के नामित व्यक्ति को देय होगी। |

**(iv) पारिवारिक राहत ( अप्रैल–2023 से नवंबर–2023)**

| | |
|---|---|
| **लाभार्थियों की कुल संख्या : 61** | पारिवारिक राहत राशि मृत कर्मचारी के पति या पत्नी को देय है |

## वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उपलब्धियों को दर्शाता सीएसआर

### परिचयः

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, हमारे कोयला पीएसयू (सीआईएल, एससीसीएल, और एनएलसीआईएल) समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाते हुए, अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) पहल के लिए प्रतिबद्ध रहे। निम्नलिखित मुख्य बिंदु वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर 333.54 करोड़ के व्यय के साथ विभिन्न सीएसआर क्षेत्र में हमारी उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाते हैं:

### 1. सामुदायिक विकासः

**शिक्षा पहलः** वंचित समुदायों में कई शैक्षिक कार्यक्रम, छात्रवृत्ति योजनाएं और अवसंरचना विकास परियोजनाएं शुरू कीं जिससे हजारों छात्रों को लाभ हुआ।

**ऐसे उल्लेखनीय कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:**

i. **सीसीएल के लाल / लाडली** : यह कार्यक्रम 10+2 शिक्षा, छात्रावास, भोजन, खेल और चिकित्सा सुविधाओं के साथ निःशुल्क इंजीनियरिंग प्रवेश कोचिंग प्रदान करता है। कार्यक्रम में प्रति वर्ष 20 लड़कों और 20 लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है और 26% सीटें एसटी वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षित हैं। 2 वर्ष के लिए प्रति छात्र औसत व्यय 3.60 लाख रुपये है। इस कार्यक्रम के माध्यम से, हमने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है क्योंकि इन छात्रों में से 20 छात्रों को आईआईटी और 28 को एनआईटी में प्रवेश के लिए चुना गया था। अन्य 26 छात्रों को बिट्स, आईआईआईटी, जादवपुर विश्वविद्यालय आदि जैसे प्रतिष्ठित कॉलेजों में चुना गया। छात्रों ने इंजीनियरिंग के बाद 40 लाख रुपये प्रति वर्ष तक की नौकरियां हासिल की हैं, एक छात्र ने सीआईएल में नियुक्ति पाई है। इस योजना को एसईसीएल, डब्ल्यूसीएल और सीआईएल जैसी अन्य

कंपनियों में दोहराया जा रहा है।

ii. **एसईसीएल द्वारा सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं की शुरूआतः** इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्य गतिविधि सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षण और सीखने के परिणामों में सुधार के लिए कोरबा, रायगढ़ और उमरिया में स्मार्ट क्लास समाधान प्रदान करना है। इस कार्यक्रम से सरकारी विद्यालयों के 782 विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियाँ यह हैं कि स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है और छात्रों के प्रदर्शन में बहुत अच्छा सुधार हुआ है।

iii. **एनएलसीआईएल द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्कूल भवनों का निर्माणः** राजकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भावनागिरी और सरस्वती विद्यालय ओमंगलम के लिए नए स्कूल भवनों का निर्माण किया गया। इस पहल से अब तक 1463 छात्र लाभान्वित हुए हैं।

iv. एनएलसीआईएल द्वारा वडालूर में पुस्तकालय भवन का निर्माण जिससे 10000 लोग लाभान्वित हो रहे हैं।

v. एससीसीएल द्वारा सरवेल में लड़कों के लिए तेलंगाना राज्य आवासीय विद्यालय में अंग्रेजी भाषा डिजिटल लैब प्रदान की गई ।

vi. एमसीएल द्वारा **'सीसीडीपी–उत्थान'** (व्यापक सामुदायिक विकास कार्यक्रम) जो पशुधन विकास (मवेशी, बकरी, मुर्गीपालन, चारा), कृषि–बागवानी–वानिकी, उन्नत कृषि, जल संसाधन विकास आदि प्रदान करता है। यह कार्यक्रम ओडिशा के अंगुल, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और संबलपुर जिलों के 40 गांवों में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के माध्यम से 7000 परिवार लाभान्वित हुए।

**कौशल विकासः** वंचित पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

i. **डब्ल्यूसीएल की कौशल विकास पहलः** यह कार्यक्रम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीआईपीईटी), अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर (एटीडीसी), भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), अशोक लीलैंड इंस्टीट्यूट फॉर ड्राइवर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआई) के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को निःशुल्क कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस कार्यक्रम से वे 985 लोग लाभान्वित हुए जो चंद्रपुर, नागपुर, भोपाल और छिंदवाड़ा क्षेत्र के हैं।

ii. **ईसीएल द्वारा आईटीआई सिकिटिया, गोड्डा का संचालन और उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधनः** इस कार्यक्रम के कारण, इस संस्थान से निकलने वाले पीएपी को ईसीएल, अडानी पावर, टाटा आदि में रोजगार मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लाभार्थियों की संख्या 515 है।

iii. एससीसीएल द्वारा सेना/पुलिस सेवाओं में भर्ती के लिए बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण।

**दिव्यांगों का कल्याण :** इस कल्याण का उद्देश्य दिव्यांग छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है जो उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगी।

i. **एससीसीएल द्वारा दिव्यांगों के लिए स्कूल सह छात्रावास :**
यह दिव्यांगों के लिए सिंगरौली जिले का पहला ऐसा स्कूल सह छात्रावास है। स्कूल में 50 छात्रों के लिए छात्रावास की सुविधा है जिसमें (32 लड़के और 18 लड़कियां) शामिल हैं। तीन वर्षों के लिए इस विद्यालय के संचालन हेतु कुल 2 करोड़ रूपये के परिव्यय का प्रावधान किया गया है।

## 2. स्वास्थ्य और कल्याणः

i. **सीआईएल द्वारा थैलेसीमिया बाल सेवा योजना :** यह कार्यक्रम अखिल भारत से पात्र वंचित थैलेसीमिया और अप्लास्टिक एनीमिया रोगियों के अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण के लिए 10 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना से अब तक 356 मरीज लाभान्वित हुए हैं।

ii. **एनएलसीआईएल द्वारा जीएच, कुड्डालोर में डायलिसिस केंद्र:** यह पहल 13000 चक्र प्रति वर्ष के हिसाब से रोगियों को सेवा प्रदान करती है।

iii. एससीसीएल द्वारा भद्राचलम के आसपास के गांवों में बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए एक चिकित्सा शिविर का आयोजन।

iv. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे विभिन्न राज्यों में एनएलसीआईएल और उसके संयुक्त उद्यम द्वारा 2500 बिस्तर की क्षमता वाले 28 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना।

v. एससीसीएल अधिकारियों द्वारा भद्राचलम में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और प्रभावित लोगों को भोजन के पैकेट वितरित किए गए।

## 3. खेल:

खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए प्रतिस्पर्धी माहौल प्रदान करने के लिए सीसीएल ने रांची में खेलगांव – स्पोर्ट्स अकादमी शुरू की, जो स्कूली शिक्षा, छात्रावास, मेस, वजीफा और टूर्नामेंट भागीदारी सहायता के साथ खेल कोचिंग प्रदान करती है।

यह खेल अकादमी सीसीएल एवं झारखंड सरकार द्वारा 50:50 लागत–साझाकरण के आधार पर संचालित है। इनमें 10 अकादमियां (8 खेलो इंडिया प्रमाणित) हैं। इस अकादमी के लिए चयन राज्यव्यापी प्रतिभा खोज प्रतियोगिता के माध्यम से किया गया था। इस गतिविधि के माध्यम से खेल प्रतियोगिताओं में 3.24 लाख प्रतिभागी आये। यह कार्यक्रम एसटी समुदाय के लोगों को विशेष प्रावधान भी प्रदान करता है क्योंकि 437 कैडेटों में से 243 एसटी श्रेणियों से हैं। औसत व्यय – 4 लाख रु. प्रति कैडेट प्रति वर्ष जिसमें (50% सीसीएल द्वारा वहन किया जाता है)। इस पहल के माध्यम से प्रमुख उपलब्धि विभिन्न स्तरों पर अब तक जीते गए 848 पदक हैं। इस अकादमी के विशिष्ट प्रदर्शन में फ्लोरेंस बारला, स्प्रिंटर ने एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता और सूर्या ओरांव, ताइक्वांडो कैडेट डीएवी स्कूल, बरियातू में स्टूडेंट ऑफ द इयर थे।

## 4. पर्यावरण संधारणीयता:

वर्तमान तथा भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए हमारे ग्रह के प्राकृतिक वातावरण में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना।

**जल संसाधन संवर्धन:**

i. एनएलसीआईएल द्वारा 25000 एकड़ के क्षेत्र में वालजाह झील की डी–सिल्टिंग की गई, जिससे 40 गांवों को लाभ मिला है।

ii. एनएलसीआईएल द्वारा 40000 एकड़ के क्षेत्र में सेनेगल ओडाई और मध्य परवनार का चौड़ीकरण तथा डी–सिल्टिंग, जिससे 60 गांवों को लाभ हुआ है।